कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री मोटर एंड जनरल सेल्स लि0,11 महात्मा गॉधी मार्ग,हजरतगंज, लखनऊ।**

प्रा0प0सं0- **372/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री मुदित अग्रवाल,अधिवक्ता ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय</u>

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 03-10-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें निम्नलिखित प्रश्न पर कर की जानकारी चाही गयी है :-

Whate is the Rate of Central sales Tax payable / chargable of the transactions during the A.Y. 2008-2009 ?

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री मुदित अग्रवाल,अधिवक्ता उपस्थित हुयें व उन्होनें उपरोक्त तथ्यों को दोहराया ।

3- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों का अवलोकन किया। अधिवक्ता द्वारा स्वंय भारत का राज पत्र दिनांक 30-5-08 संलग्न किया गया जिसमें उनके द्वारा उठाये गये प्रश्न पर स्पष्ट आदेश अंकित है तथा उपरोक्त बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है । अतः धारा-59 के अर्न्तगत उपरोक्त बिन्दु पर कोई निर्णय दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः धारा-59 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 25 नवम्बर,2008

ह0/25-11-08

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।